न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

अयोध्या प्रसाद पटेल पुत्र श्री दियाली प्रसाद पटेल, निवासी–राधेपुर हाल निवास छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– शोभित पुत्र श्री भगवत प्रसार त्रिपाठी
निवासी– स्कार्ट ऐजेन्सी के पीछे छतरपुर हाल निवास सी.ई.जी जनपद पंचायत सांधी जिला रायसेन

2– कमलेश पुत्र श्री दुलीचन्द्र पटेल
निवासी – ग्राम दलपतपुर तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 175/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निम्नांकित निवेदन है।

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय छतरपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेथ पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिसमें एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 30.08.2016 पारित किया है जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3157/एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-11-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 175/अ–3/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अयोध्या प्रसाद पटेल द्वारा तहसीलदार, तहसील छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा छतरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2970/2/1/1 में से रकवा 0.484 है0 का वह भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं और वर्तमान में काबिज है। इसलिए उक्त भूमि के सरहद की सही जानकारी हेतु भूमि की तरमीम कराना चाहता हूँ, अतः तरमीम की जाये। तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 से आवेदन पत्र स्वीकार कर मौजा छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2970/2/1/1 में से रकवा 0.484 है0 पर राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 30.08.2016 को जारी किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।	

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का विधिवत अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 30.08.2016 को एकपक्षीय रूप प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जारी किया है, जबकि भू–राजस्व संहिता में किये गये नवीन संशोधन के अनुसार स्थगन आदेश प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जारी नहीं किये जाने का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि माननीय न्यायालय को संहिता की धारा 50 में विस्तृत अधिकार प्राप्त है, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय न केवल आक्षेपित आदेश पर विचार कर सकते है बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार किये जाने का अधिकार है। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव तलब किये बिना तथा उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर आदेश पारित किया है। नक्शा तरमीम खसरा नम्बर 2970/2 के बंटाकों की तरमीम होने से उक्त तरमीम नक्शा भूमि खसरा नम्बर 2970/3/1/2 के नीचे जहॉ अनावेदक क्रमांक 1 दीर्घकाल से काबिज है। भूमि खसरा नम्बर 2970/2/1/1 की तरमीम नहीं की जा सकती। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2970 के नक्शें का

विधिवत अवलोकन किये बिना नक्शा तरमीम का आदेश दिया है, जो उचित नहीं है। संहिता की धारा 107(5) के प्रावधानों के अनुसार नक्शा तरमीम की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है बल्कि इस हेतु केवल कलेक्टर न्यायालय ही सक्षम है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश अधिकारितारहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के स्थगन आदेश का प्रश्न है तो उन्होंने दिनांक 18.07.2016 को स्थगन आदेश अभिलेख आने तक अथवा एक माह के लिए जो भी पहले हो, तब तक जारी किया है। एवं प्रकरण में पेशी दिनांक 17.08.2016 नियत की गयी थी। उक्त दिनांक को सूचना पत्र तामील नहीं होने के कारण पेशी बढायी गयी और पेशी दिनांक 30.08.2016 नियत की गयी। उक्त दिनांक के पूर्व शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 22.08.2016 को प्रस्तुत किया गया। कि अयोध्या प्रसाद द्वारा स्थल पर निर्माण किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में यथास्थिति का आदेश दिया जाये और न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2016 को स्थगन आदेश दिया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 30.08.2016 नियत कर दी। उक्त दिनांक को न्यायिक जटिलताओं के उद्भूत होने से रोकने हेतु यथास्थिति का आदेश जारी किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.09.2016 नियत की गयी। उक्त आदेश को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है और बताया गया कि स्थगन आदेश आगामी आदेश तक जारी किया है, जो उचित नहीं है। जबकि वास्तविक रूप से स्थगन आदेश आगामी पेशी तक दिया गया है ना कि अंतिम निराकरण तक ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह 1986 आर.एन.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर

करने के आदेश पारित करें।

अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा अपने लिखित बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि 1986 आर.एन. 1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार माननीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 04.07.2016 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है।

6— उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 18.07.2016 को जारी किया गया, जो अभिलेख आने तक दिया गया था तत्पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 17.08.2016 नियत की गयी, इसमें कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है एवं प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 30.08.2016 नियत कर दी गयी। इसी बीच अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन स्थगन बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 22.08.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार कर स्थगन आदेश पेशी दिनांक 30.08.2016 तक बढाया गया। उक्त दिनांक को दो आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये कि स्थगन आदेश होने के बावजूद अयोध्या प्रसाद द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा स्थगन आदेश की अवमानना की जा रही है, दूसरा यह कि स्थगन आदेश आगे बढ़ाया जाये। उपरोक्त आवेदन पत्रों पर अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा विधिवत विचार किया जाकर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर

प्रकरण में अंतिम तर्क हेतु दिनांक 26.09.2016 नियत कर तब तक न्यायिक जटिलताओं के उद्भूत होने से रोकने हेतु यथास्थिति आदेशित किया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा किसी भी वैधानिक प्रक्रिया को अनदेखा नहीं किया गया है। प्रकरण में उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को में उल्लेख किया है कि 1986 आर.एन.1 के अनुसार इस न्यायालय को संहिता की धारा 50 में विस्तृत अधिकार हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर विचार किया जा सकता है। अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों पर आदेशों पर विचार किया जा रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही बिना किसी अधिकारिता की गयी है। संहिता की धारा 107(5) के अनुसार नक्शा तरमीम की अधिकारिता कलेक्टर न्यायालय को है। चूंकि इस प्रकरण में तहसीलदार छतरपुर द्वारा बिना किसी अधिकार के नक्शा तरमीम की कार्यवाही की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिकारिता का प्रश्न मामले के मूल तक जाता है, इसे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर उठाया जा सकता है। इस संबंध ए.आई.आर.1954 एस.सी.340 एवं 1995 आर.एन.419 में जो न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया है उसके परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा विक्रय पत्र में दर्शायी गयी तथाकथित चतुर सीमा के आधार पर नक्शा तरमीम का आवेदन दिया है, जबकि उपरोक्त चतुर सीमा वास्तविक एवं मौके के अनुसार नहीं है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2016 को प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आदेश पत्रिका दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध उनके द्वारा पुनरीक्षण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है

और राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित होगा, वह उन्हें मान्य होगा। उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रकरण में कोई आगामी कार्यवाही नहीं की है, इसके अलावा सन् 1986 आर.एन.1 सौदानसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व मण्डल, विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा। उपरोक्त परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय का आदेश अधिकारितारहित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर तहसीलदार, तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ—3/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही का औचित्य नहीं होने से समाप्त की जाती है।

सदस्य